



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-09/2023-24

राजीव रंजन भगत

बनाम्

अवध किशोर त्रिवेदी

—: आदेश :—

दिनांक 10/9/24

आदेश दिनांक-26.07.2024 के शीर्ष में आर0एम0ए0 नं0-09/2023-24 राजीव रंजन भगत बनाम् अवध किशोर त्रिवेदी के स्थान पर लिपिकीय भूलवश आर0एम0ए0 नं0-26/2022-23 सुबल यादव बनाम् सूर्य कुमार यादव लिखा गया है। अतः लिपिकीय भूल सुधार का आदेश दिया जाता है। आदेश के शीर्ष में आर0एम0ए0 नं0-26/2022-23 सुबल यादव बनाम् सूर्य कुमार यादव के स्थान पर आर0एम0ए0 नं0-09/2023-24 राजीव रंजन भगत बनाम् अवध किशोर त्रिवेदी पढ़ा एवं लिखा जाय।

लेखापित।

उपायुक्त
गोड्डा।



15

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-26/2022-23

सुबल यादव

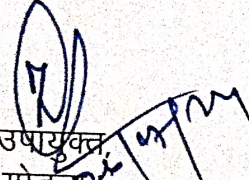
बनाम्

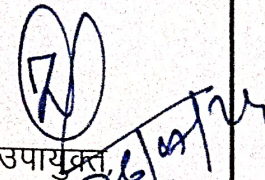
सूर्य कुमार यादव

—: आदेश :—

दिनांक 26/7/24

अपीलकर्ता कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता का इस अपील वाद में अभिरुचि नहीं
रह गया है। अतएव वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।
लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त
गोड्डा


उपायुक्त
गोड्डा

सुनील तिवारी
23/08/2024